शर्तें तथा अर्हता–

उक्त पदों के लिए शर्त तथा अर्हता निम्नवत् अनिवार्य होगी।

1:– न्यूनतम शैक्षिक योग्यता:– ऑगनबाड़ी कार्यकत्री एवं मिनी ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सहायिका हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद/संस्थान से न्यूनतम आठवीं अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2:– आयु:– आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्त्री हेतु न्यूनतम आयु **18 वर्ष पूर्ण व अधिकतम 44 वर्ष** होगी। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना **01 दिसम्बर, 2017** के अनुसार की जायेगी।

3.:– स्थायी निवास:– निवास के लिए सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी अथवा मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सम्बन्धित ग्राम/मजरा/तोक/वार्ड के परिवार रजिस्टर की नकल जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो तथा शहरी क्षेत्र हेतु सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा जारी वार्ड में निवास का प्रमाण पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक को उसी ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड का स्थायी निवासी अथवा मूल निवासी होना चाहिये, जिस ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड के लिये ऑगनबाड़ी केन्द्र व मिनी ऑगनबाड़ी स्वीकृत है, तथा जिसके लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है। परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि सम्बन्धित ग्राम सभा के उसी ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो उस स्थिति में उस ग्राम सभा के अन्य ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड से नियुक्ति की जायेगी, ताकि रिक्तियॉ न रहे।

विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की श्रेणी में आने वाली अभ्यर्थी किसी ऐसे ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड में निवास कर रही है, जो उसके पिता/पति के निवास से भिन्न है, तथा उनके लिए निवास प्रमाण पत्र दिया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपजिलाधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 02 वर्ष पूर्व से उस ग्राम/मजरे/तोक/वार्ड में निरन्तर निवास करने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

4. आरक्षण:– उपरोक्त तालिका के अनुसार आरक्षित पद में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

5. वरीयता:– इन पदों पर क्रमशः कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री, कार्यरत मिनी कार्यकर्त्री, कार्यरत सहायिका, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, बी0पी0एल0 या निर्धारित आय का प्रमाण पत्र धारी आवेदक यदि उपरोक्त वरीयता श्रेणी से सम्बन्धित हो, तो उस श्रेणी से सम्बन्धित निम्न प्रमाण पत्र/शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। (क) कार्यरत ऑगनबाड़ी कार्यकत्री हेतु:– आवेदन करने की तिथि से कम से कम 02 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक कार्यरत ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, (ख) कार्यरत मिनी कार्यकत्री हेतु:– आवेदन करने की तिथि से कम से कम 01 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक कार्यरत मिनी कार्यकत्री के पद पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, (ग) कार्यरत सहायिका की श्रेणी हेतु:– आवेदन करने की तिथि से कम से कम 02 वर्ष पूर्व से तथा वर्तमान तक कार्यरत सहायिका के कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, (घ) विधवा श्रेणी हेतु:–पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। (ङ) परित्यकता श्रेणी हेतु:– रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर आवेदन करने की तिथि से कम से कम 01 वर्ष पूर्व से परित्यकता होने का शपथ पत्र, जिसमें 02 स्थानीय निवासियों के हस्ताक्षर, नाम व पते के साथ ही सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य से प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। (च) तलाकशुदा श्रेणी हेतु:– मा0 न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। मुस्लिम वर्ग की महिलाओं हेतु रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर 02 गवाहों के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। (छ) बी0पी0एल0 या आय प्रमाण पत्र:– बी0पी0एल0 (आई0डी0) क्रमांक से सम्बन्धित अभ्यर्थी खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका द्वारा जारी किया गया हो मान्य होगा, जिसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा या आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जिनकी आय ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 15976.00 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 21206.00 वार्षिक से अधिक न हो, का प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. एक ऑगनबाड़ी केन्द्र के दोनों मानदेय पदों (ऑगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका) पर एक ही परिवार के सदस्यों का चयन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इसके लिए परिवार रजिस्टर की नकल की प्रति को आधार माना जायेगा।

7. समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ पूर्ण रूप से भरे हुऐ आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

8. पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।